डीजी अ0शा0परिपत्र संख्याः- 26 /2017

सुलखान सिंह,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः अगस्त 16,2017

प्रिय महोदय,

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्याः सा.का.नि.460(अ) दिनांकित 12.05.2017 में विभिन्न विधि प्रर्वतन अभिकरणों द्वारा अधिहरित (Confiscated)/अभिग्रहीत (Seized) 500 एवं 1000 रूपये के विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के निस्तारण के सम्बन्ध में, विनिर्दिष्ट बैंक नोट (अभिहरण किये गये नोटों का जमा किया जाना) नियम-2017 प्राख्यापित करते हुए उपर्युक्त पुराने 500 एवं 1000 रूपये के बैंक नोटों के निस्तारण के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था की गयी हैः-

" जहॉ विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा अधिहरण किया गया है या अभिग्रहण किया गया है या 30 दिसम्बर, 2016 को या उससे पूर्व किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसे विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को अधिनियम की धारा 4 की उपधारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय में या उक्त प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अभिहित राष्ट्रीयकृत बैंक में किसी बैंक खाते में जमा करने के लिए या वैध मुद्रा में उनके मूल्य में विनिमय के लिए निम्नलिखत शर्तों के अधीन रहते हुए दिया जा सकेगा अर्थातः-

(क) अधिहरण किये गये विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के किसी व्यक्ति को लौटाया जाता है जो उस न्यायालय के समक्ष लंबित मामले में एक पक्षकार है तब व्यक्ति न्यायालय के निदेश को प्रस्तुत करने पर एसे विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को जमा करने या विनिमय करने का हकदार होगा, जिनकी क्रम संख्याः-

(i) को उस विधि प्रवर्तन अभिकरण द्वारा, जिसने उनका अधिहरण किया था या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, नोट कर लिया गया है, और

(ii) का न्यायालय के निदेश पर वर्णन किया गया है,

(ख) विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पक्ष में न्यायालय के किसी आदेश द्वारा समपहरण किये जाने की दशा में वह सरकार न्यायालय के निदेश को प्रस्तुत करने पर ऐसे विनिर्दिष्ट बैंकों को जमा करने या उसका विनिमय करने की हकदार होगी, या

(ग) विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को 30 दिसम्बर, 2016 को या उससे पूर्व न्यायालय के आदेश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में रखे जाने की दशा में वह व्यक्ति न्यायालय के निदेश को प्रस्तुत करने पर ऐसे विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को जमा करने या विनिमय करने का हकदार होगा, जिनकी क्रम संख्याः-

(i) को उस विधि प्रवर्तन अभिकरण द्वारा, जिसने उनका अधिहरण किया था या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, नोट कर लिया गया है, और

(ii) का न्यायालय के निदेश पर वर्णन किया गया है,"

उपर्युक्त नियम 30 सितम्बर, 2016 के पश्चात अधिहरण या अभिग्रहण किये गये विनिर्दिष्ट बैंक नोटों पर लागू नही होंगें।

2. इस सम्बन्ध में इस मुख्यालय द्वारा इससे पूर्व एस0एल0पी0(क्रिमिनल) सुन्दरलाल अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य (2002) SCC 283 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में परिपत्र संख्या 69/2016 दिनांक 17.12.2016 को निर्गत किया जा चुका है।

आप सभी से अपेक्षा है कि मालखानों में जमा पुराने 500 एवं 1000 रूपये के नोटों का निस्तारण इस मुख्यालय के संदर्भित परिपत्र दिनांकित 17.12.2016 एवं भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांकित 12.05.2017 के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

16/8/17

(सुलखान सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद/रेलवेज,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. पुलिस महानिदेशक, भ्र0नि0सं0, उ0प्र0 लखनऊ।
5. पुलिस महानिदेशक, ई0ओ0डब्लू0, उ0प्र0 लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज़, उ0प्र0 लखनऊ।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0 लखनऊ।
8. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
9. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
10. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।